(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 03/2024

बउनवान

धनराज सुमन पुत्र स्व. श्री गोपीलाल सुमन जाति माली निवासी बमोरी रोड, वार्ड नं. 05, अंता तहसील अंता जिला बारां(राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 26.02.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.12.2023 को लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, बारां को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, बारां के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई पूर्ण सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 29.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, बारां को जरिये सम्मन क्रमांक 136–137 दिनांक 30.01.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 136–137 दिनांक 30.01.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, बारां द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/146 दिनांक 06.02.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि उक्त आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 11.12.2023 को आमद किया गया जिसकी सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/07 दिनांक 04.01.2024 से अपीलार्थी को सूचित किया गया कि आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित बिन्दुओं में मिसल नं. व उनवान नहीं है। अतः आप स्पष्ट बिन्दु अंकित कर आवेदन पुनः प्रस्तुत करें अथवा कार्यालय दिवस में कार्यालय समय पर कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उप जिला कलक्टर, बारां से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, बारां द्वारा अपीलार्थी को समय सीमा में सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, उप जिला कलक्टर, बारां एवं अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **26.02.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ